



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01122020-223428
CG-DL-E-01122020-223428

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3782]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 1, 2020/अग्रहायण 10, 1942

No. 3782]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 1, 2020/AGRAHAYANA 10, 1942

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4291(अ).—केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसी अपेक्षा है कि यूरैनियम उद्योग में लगी सेवाएं, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची की मद 19 के अधीन आती हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक लोक उपयोगी सेवा बनाई जाए;

और केन्द्रीय सरकार ने अंतिम बार उक्त उद्योग को भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1965(अ) तारीख 19 जून, 2020 द्वारा 19 जून, 2020 से छह मास की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा के रूप में घोषित किया है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में उक्त उद्योग की लोक उपयोगी सेवा की प्रास्थिति को छह मास की और अवधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त उद्योग में लगी सेवाओं को 19 दिसंबर, 2020 से छह मास की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा के रूप में घोषित करती है।

[फा.सं. एस.-11017/9/97-आईआर(पीएल.)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st December, 2020

S.O. 4291(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest so requires that the services engaged in the Uranium Industry, which is covered under item 19 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

And whereas the Central Government has lastly declared the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the 19th June, 2020 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 1965 (E), dated the 19th June, 2020;

And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industry for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947(14 of 1947), the Central Government hereby declares the services engaged in the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 19th December, 2020.

[F. No. S.11017/9/97 – IR (PL)]

KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.